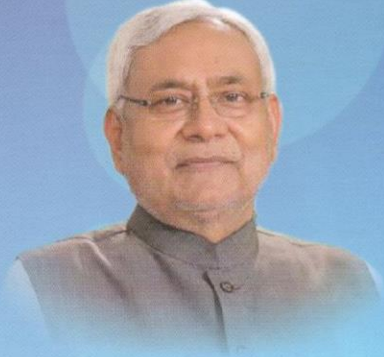

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण

बिहार सरकार की विशेष पहल

बिहार सरकार

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण

अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना

- ✓ इस योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। यह दर वर्ग 1 से 4 तक के लिए 50 रु० प्रतिमाह, वर्ग 5 एवं 6 के लिए 100 रु० प्रतिमाह, वर्ग 7 से 10 के लिए 150 रु० प्रतिमाह एवं वर्ग 1 से 10 तक (छात्रावासी) के लिए 250 रु० प्रतिमाह निर्धारित है।
- ✓ इसका लाभ प्राप्त करने के लिए पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रु० होनी चाहिए।
- ✓ वर्ष 2017–18 में इस योजना का कार्यान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके तहत रु० 911.94 करोड़ शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2018–19 में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु कुल 1098.47 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योज़ना

- ✓ इस योजना के तहत वर्ग 11 एवं उच्चत्तर कक्षा तथा डिप्लोमा / डिग्री स्तर का मेडिकल / इंजीनियरिंग / प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका लाभ प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के अभिभावक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रु० होनी चाहिए।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2017–18 में पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से छात्रवृत्ति का वितरण शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

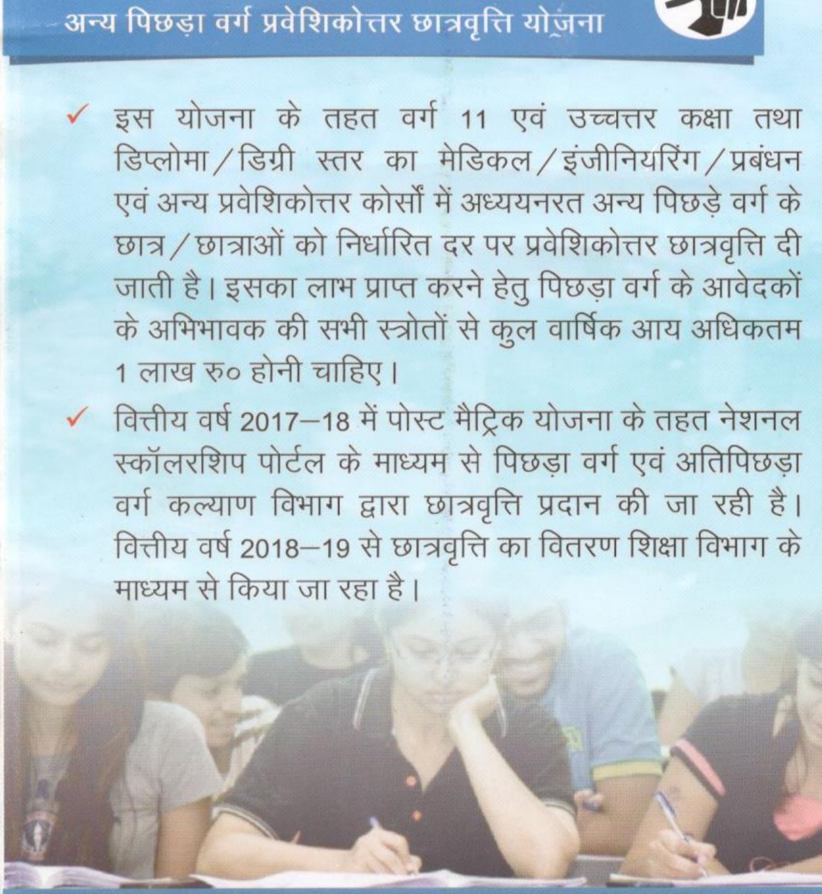

बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, शादी की सूली नहीं चढ़ेगी।

- भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य के अंदर सभी सरकारी संस्थानों एवं राज्य के बाहर देश के अंतर्गत सभी सरकारी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क संबंधित राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क अनुमान्य है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर केंद्रीय सरकारी संस्थानों (यथाः आई0आई0टी0, एन0आई0टी0 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम क्रमशः 90,000 रु० तथा 70,000 रु० की दर) एवं अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थानों यथाः नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन0आई0एफ0टी0, जे0आई0पी0एम0ई0आर0, एम्स आदि में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए निर्धारित वार्षिक शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम सीमा 75,000 रु० की दर पर छात्रवृत्ति अनुमान्य है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लगभग 1.15 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 216.97 करोड़ रु० का बजट उपबंध किया गया है तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लगभग 2,50,000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा।
- इस योजना की जानकारी http://bcebwelfare.bih.nic.in तथा scholarships.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना

- राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य तथा उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह–सवेरे।

अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 रु० तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र 10,000 रु० एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

- ✓ वर्ष 2018–19 में 60 करोड़ रु० आवंटित किया गया है तथा 60,000 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास

- ✓ पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। 24 जिलों में निर्मित जिसमें से 10 जिलों में वर्तमान में संचालित है तथा है। शेष 14 जिलों में निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को रसोईया, रोशनी, बर्तन इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। पिछड़ा वर्ग छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मानदेय के रूप में अधीक्षक भत्ता दिया जाता है, जिनपर छात्रावास के संचालन का उत्तरदायित्व रहता है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय

- ✓ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित है, जिनमें वर्ग 6–12 तक कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। इन आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का स्वीकृत छात्र बल प्रति विद्यालय 280 है। वर्तमान में कुल 2810 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में छात्राओं को भोजन,

बेटी है एक वरदान। दहेज देकर मत करो अपमान।।

पठन–पाठन सामग्री, पुस्तकालय तथा तेल, साबुन इत्यादि के लिए निर्धारित दरों पर राशि उपलब्ध कराई जाती है।

- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना

- ✓ यह योजना पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को यू0पी0एस0सी0 / बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। प्रतिकेंद्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। राज्य के प्रत्येक जिलों में एक–एक केंद्र के संचालन की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु कुल 8 करोड़ रु० का बजट प्रावधान किया गया है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना

- ✓ "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना" इन वर्गों के लोगों की बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill Development Scheme) का संचालन श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत CIPET (Central Institute Of Plastic Eng.& Tech.), हाजीपुर एवं अन्य 30 चयनित कौशल प्रशिक्षण प्रदाता केन्द्रों द्वारा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के लिए रु० 15 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान है।

परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

- ✓ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2018–19 में परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 25 लाख रु० का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे 21000 छात्र–छात्रा लाभान्वित होंगे। इस योजना की विस्तृत जानकारी http://bcebcwelfare.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य योजनाएं

- ✓ कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 15–28 वर्ष के युवाओं को भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में 3 वर्ष छूट दी जा रही है।

नयी पहल

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना एवं राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र–छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) की आपूर्ति**
- ✓ राज्य सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उनकी छात्रावास संबंधी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति

छात्र/छात्रा 1000 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है। राशि सीधे छात्र/छात्राओं के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

- ✓ इसके अतिरिक्त राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सरकार ने 15 किलो मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत छात्र/छात्राओं की रुचि को देखते हुए 15 किलो में से 9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूँ की आपूर्ति की जा रही है।
- ✓ इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित होने के साथ–साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत भी होना चाहिए। छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावासों में आवासित छात्रों की सूची छात्रावास अधीक्षक द्वारा विभागीय पोर्टल, **ई–कल्याण पोर्टल** पर अपलोड की जाएगी। इसका सत्यापन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा उनके स्तर से सूची अनुमोदित की जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात प्रतिमाह छात्र/छात्राओं के बैंक खाता में छात्रावास अनुदान की राशि का अंतरण किया जाएगा।
- ✓ छात्रावासों तक खाद्यान्न की आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत सीधे छात्रावास में की जा रही है। खाद्यान्न की कुल लागत तथा अन्य व्यय यथा–परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वेबसाइट www.bcebcwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
- ✓ **पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित पूराने जर्जर छात्रावास के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नये भवन का निर्माण किया जाएगा।**

बिहार सरकार के विकास के बढ़ते कदम...

बिहार सरकार

"मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना"

- पिछड़ा वर्ग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबल–कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्त्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- पूर्व में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

छात्रावास में मुफ्त खाद्यान्न योजना

- पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) दिया जायेगा।
- खाद्यान्न के क्रय, हथालन एवं परिवहन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। छात्र/छात्राओं की रूचि को देखते हुए 15 किलो में से 9 किलो चावल एवं 6 किलों गेहूँ की आपूर्ति की जाएगी। बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सीधे छात्रावास में की जायेगी।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार

Design & Printed by Patna Offset Press, Patna # 9693202981

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612–2217048 पर करें।